निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : सी-1278/बा.वि.परि./एम.पी.आर./2017–18 दिनांक : 22 अगस्त, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय– मासिक प्रगति रिपोर्ट(एम.पी.आर.) तथा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 (सी0डी0 सहित) की सूचना प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक अनिवार्य रूप में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या: सी–1062/बा0वि0परि0/एम.पी.आर./2017–18, दिनांक: 13 जुलाई, 2017 तथा पत्र संख्या: सी–117/बा0वि0परि0/अनुश्रवण/2007–08, दिनांक: 21 अप्रैल, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं कि मासिक प्रगति रिपोर्ट(एम.पी.आर.) तथा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 (सी0डी0 सहित) की सूचना निदेशालय में प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय। परन्तु कतिपय जनपदों द्वारा सूचना विलम्ब से प्राप्त करायी जाती है, जिससे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को सूचना प्रेषण में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा उच्च स्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है।

अतः भविष्य के लिए आपको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मासिक प्रगति रिर्पोट(एम.पी.आर.) तथा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 (सी0डी0 सहित) की सूचनाएं विलम्बतम प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को अनिवार्य रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बिलम्ब से मासिक प्रगति रिर्पोट(एम.पी.आर.) तथा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 (सी0डी0 सहित) की सूचना प्राप्त कराने अथवा सूचना प्राप्त न कराने को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

21/8/17

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक